# फर्द अहकाम

गांधीलाल वगै. बनाम रामनाथ वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयरामगढ़

केस संख्या 134/2012

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 15/9/12 | । पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] पूर्वानुसार वादी [illegible] को पेश हो। दिनांक 05/12/12 |
| | | उपखण्ड अधिकारी जयरामगढ़ जिला–जयपुर |
| | 05/12/12 | पत्रावली पेश है। वकील वादी वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी को बार बार [illegible] लगातार नहीं [illegible] लेकिन [illegible] कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कोर्ट शुमार होकर नस्ती की जाए हो नस्ती बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। |
| | | उपखण्ड अधिकारी जयरामगढ़, जिला–जयपुर, |